

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 83

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02218

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "ए.जी.एस. बिल्डर्स", प्रमोटर-मेसर्स ए.जी.एस. बिल्डर्स, द्वारा-श्री अजय कुमार ठक्कर, पता-शेख सरीफ हसन शेख, बालभारती स्कूल के समीप, बलदेव बाग, जिला-राजनांदगांव (छ.ग)  
प्रोजेक्ट-"ए.जी.एस. बिल्डर्स", जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
01/04/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "ए.जी.एस. बिल्डर्स" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA260319000946 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 26.03.2019 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनांक 30.09.2023 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा-59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।</p> <p>रजिस्ट्रार, छ.ग. द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 24.11.2023 के अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 14.02.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी अनुसार जून, 2023 तक प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के विकास कार्य की पूर्णता की स्थिति 32 प्रतिशत है। प्राधिकरण द्वारा अनावेदक को निर्देश दिये जाने उपरांत ही प्रोजेक्ट के विस्तारण के लिये प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनावेदक को अधिनियम के</p>	

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 83

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02218

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "ए.जी.एस. बिल्डर्स", प्रमोटर-मेसर्स ए.जी.एस. बिल्डर्स, द्वारा-श्री अजय कुमार ठक्कर, पता-शेख सरीफ हसन शेख, बालभारती स्कूल के समीप, बलदेव बाग, जिला-राजनांदगांव (छ.ग)  
प्रोजेक्ट-"ए.जी.एस. बिल्डर्स", जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>प्रावधानों अंतर्गत पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देते हुये प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</li><li>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</li></ul> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	